न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 130/11 निर्णय दिनांकः— 17.09.2018

1. हंसराज पुत्र हनुमानराम जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. लूंगादेवी पुत्री लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर।

1/1. राजकुमार पुत्र रामकुमार

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 17—05—1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 17—05—1984 जिसके द्वारा अवैध तरीके से बिना वारिसान की जॉच व कब्जे की जॉच किये खातेदारी के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट के नाना लाधुराम के नाम से हाल चक 272 आरडी तहसील लूणकरनसर के मुरब्बा नम्बर 29/63 में 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29/64 में 14 बीघा 14 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 29/56 में 11 बीघा 16 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 30/49 में 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 30/57 में 4 बीघा कुल 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि संवत् 2012 से पूर्व की खातेदरी भूमि है। उनके कोई पुत्र ना होने के कारण अपनी पुत्री लूंगादेवी पत्नी हनुमानराम के पुत्र अपीलांट को बतौर गोद पुत्र के रूप में लालन पालन किया। नानी व नाना पारिवारित व्यवस्था के तौर पर अपीलांट के हक में 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट के हक में 1/2 हिस्सा कर दिया गया। अपीलांट निरन्तर वादगत् भूमि पर भौतिक रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा है। नाना की मृत्यु के उपरान्त धारा 15 एएए (3) के तहत खातेदारी स्वीकार कर स्व. मोमल के नाम व अपीलांट के नाम गलत वल्दियत धोंकलराम के नाम दर्ज कर दी गई। जिसकी दुरूस्ती बिना किसी सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये रेस्पोडेन्ट की माता के नाम खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। जबकि वादगत् भूमि का तन्हा मालिक अपीलांट ही है।

अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि से बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 35 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। जबकि नाना के जीवनकाल में की गई व्यवस्था के प्रतिकूल इन्द्राज बहक रेस्पोडेन्ट के आदेश जैर अपील वारिसान की एवं कब्जा काश्त की जॉच के अभाव में पारित आदेश स्वतः शून्य एवं निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण संख्या 35 बाबत् वादगत् भूमि 272 आरडी से पूर्व अंकन जमाबन्दी गिरदावरियों में मोमज बेवा धोंकलराम 1/2, हंसराज पुत्र धोंकलराम 1/2 चले आ रहे है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के अंकन में गलत वलदियत् मानकर जैर अपील आदेश दिनांक 17—05—1984 बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश शून्य एवं वॉयड श्रेणी का आदेश होने से निरस्त योग्य आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस, सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तमाम कार्यवाही अपीलांट के पीठ पीछे बाला–बाला एकतरफा तौर पर की गई है। जबकि अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई करने के उपरान्त विधिवत रूप से निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांट को आवंटित भूमि पर विधिवत खातेदारी अधिकार हासिल हो गये थे। अदालत मातहत द्वारा सरसरी तौर पर कई दशकों के उपरान्त अपीलांट के धारण की भूमि को खारिज किया जाना किसी भी स्थिति में विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा कानून, कानूनी प्रक्रियाओं, व अनिवार्यताओं को ताक पर रखकर स्वेच्छा पूर्वक मनमर्जी तरीके से अपीलांट के धारण की भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये खारिज किया गया है। जिसको खारिज करने का कतई अधिकार अदालत मातहत को हासिल नहीं था।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व तरीके से एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि मु. मुमल बेवा लादूराम व मु. लूंगा पुत्री लादुराम जाति बिश्नोई द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15एएए(3) के तहत एक आवेदन पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्व अभिलेखों के अवलोकन व तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

वादगत् भूमि संवत् 2003 से श्री लादु पत्र ताजा के नाम दर्ज रिकार्ड पाई जाने पर तथा जमाबन्दी संवत् 2012 में उक्त अंकन दर्ज पाये जाने पर व डालबाछ के अनुसार रकम कायम की हुई होने के अनुसार वादगत् भूमि लादु पुत्र ताजा के नाम दर्ज हुई। वादगत् भूमि वर्तमान में चक 272 आरडी में 28 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड व 10 बीघा 18 बिस्वा अनकमाण्ड के रूप में परिवर्तित होने पर व प्रार्थी लादूराम के फौत होने पर उसकी बेवा मु. मुमल व उसकी पुत्री लुंगा के कब्जे काश्त में होने के आधार पर वादगत् भूमि पुश्तैनी कब्जे काश्त की गैर खातेदारी भूमि के नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट एक तरफ तो वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत अपीलों में अपना हिस्सा 1/9 की मांग कर रहा है व दूसरी तरफ वसीयत के आधार पर 1/2 हिस्से की मांग की जा रही है। जबकि उक्त वसीयत निरस्त हो चुकी हैं इसी प्रकार अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसके नाना द्वारा अपने जीवन काल में प्रदान करने के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का दावा कर रहे है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा तीन अलग—अलग जगह भिन्न—भिन्न कथन कहे जा रहे है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे बताया गया कि अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में वादगत् भूमि के बाबत् दावा प्रस्तुत करते हुए गोदनामें के आधार पर वादगत् भूमि का 1/2 हिस्से का अधिकारी बता रहा है। जबकि उक्त गोदनामा कभी भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि लूंगादेवी द्वारा अपन जीवन काल में दो वसीयत की गई थी। जिसमें प्रथम वसीयत निरस्त कर दी गई व दूसरी वसीयत पौत्र रामकुमार के नाम की गई है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दो दावें भी वादगत् भूमि को लेकर प्रस्तुत किये गये है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के उक्त दोनों दावे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिये गये हैं जिसके विरूद्व अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष जैरकार चल रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा विभिन्न स्तरों पर भिन्न—भिन्न कथन करते हुए न्यायालय को गुमराह करते हुए वादगत् भूमि के अधिकार प्राप्त करने का कुस्सित

प्रयास किया जा रहा है। जिसका कतई अधिकार अपीलांट को प्राप्त नहीं है। वादगत् भूमि के बाबत् विभिन्न स्तरों पर यह तय किया जा चुका है कि वादगत् भूमि मु. मुमल व मु. लूंगादेवी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् व वादगत् भूमि के बाबत् संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के उपरान्त आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 एएए(3) के तहत रेस्पोडेन्ट्स को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि चक 272 आरडी के मुरब्बा नम्बर 29/56, 29/63, 29/64, 30/49 व 30/57 में कुल 37 बीघा 10 बिस्वा भूमि लाधूराम के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है। जिस पर अपीलांट का आवंटन की दिनांक से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है। अतः अपीलांट को वादगत् भूमि खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष मु. मुमल बेवा लादूराम व मु. लूंगा पुत्री लादुराम जाति बिश्नोई द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 एएए (3) के तहत अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्व अभिलेखों व तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादगत् भूमि संवत् 2003 से श्री लादु पत्र ताजा के नाम दर्ज रिकार्ड पाई जाने पर तथा जमाबन्दी संवत् 2012 में उक्त अंकन दर्ज पाये जाने पर व डालबाछ के अनुसार रकम कायम की हुई होने के अनुसार वादगत् भूमि लादु पुत्र ताजा के नाम दर्ज हुई। वादगत् भूमि वर्तमान में चक 272 आरडी में 28 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड व 10 बीघा 18 बिस्वा अनकमाण्ड के रूप में परिवर्तित होने पर व प्रार्थी लादूराम के फौत होने पर उसकी बेवा मु. मुमल व उसकी पुत्री लुंगा के कब्जे काश्त में होने के आधार पर वादगत् भूमि पुश्तैनी कब्जे काश्त की गैर खातेदारी भूमि के नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

(4) प्रकरण में जहॉ तक वादगत् भूमि पर अपीलांट के हक व हकूकों का प्रश्न है, प्रस्तुत मामलें में अपीलांट वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूक दत्तक पुत्र होने के नाते मांग की जा रही है। इस संबंध में हमने अपीलांट के कथनों का विवेचन किया। प्रस्तुत मामलें में एक तरफ तो अपीलांट द्वारा जरिये वसीयत वादगत् भूमि पर अपना 1/2 हिस्से की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ अपीलाधीन आदेश के माध्यम से तमाम वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने की इस्तदुआ उपरोक्त अपील के माध्यम से अपीलांट द्वारा की गई है। इस प्रकार अपीलांट स्वमेव द्वारा अपील के विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न कथन किये जा रहे है। जो अपने आप में विरोधाभासी कथन है।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार अन्तर्गत धारा 15 एएए(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मु. मुमल बेवा लादुराम व मु. लुंगा बेवा लादूराम को प्रदान किये गये है। जिनकी वंशावली निम्न प्रकार हैः—

मु. मुमल बेवा लादूराम	मु. लूंगादेवी पुत्री लादूराम

पुत्र/पुत्रियॉ श्रीमती लूंगादेवी

लालीदेवी गिरदावरी देवी हंसराज मोहरादेवी
भागीदेवी सोनादेवी सरस्वती देवी सोमादेवी रामकुमार

प्रकरण में लूंगादेवी द्वारा अपने जीवनकाल में दो वसीयत की गई। जिसमें से प्रथम वसीयत को लूंगादेवी द्वारा निरस्त कर दी गई व दूसरी वसीयत पौत्र रामकुमार के नाम निष्पादित की गई है।

(6) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट/लूंगादेवी के वारिसान द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष दो अन्य दावे प्रस्तुत किये गये थे। उक्त दावे अदालत मातहत द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इस आधार खारिज किये जा चुके है कि वादगत् भूमि स्वअर्जित भूमि है जिससे उनके जीवनकाल में उनके पुत्र/पुत्रियों को हकों की धोषणा नहीं की जा सकती है।

(7) इस प्रकार प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् विभिन्न स्तरों पर क्रमशः 1/9 हिस्से व तत्पश्चात् 1/2 हिस्से, व वसीयत, नानी के गोदनामा, नानी की वसीयत के आधार पर वादगत् भूमि अपने हिस्से की मांग की जाती रही है व विभिन्न स्तरों पर अपीलांट द्वारा स्वमेव विरोधाभासी कथन किये जाते रहे है। जबकि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् किसी भी स्तर पर कोई दस्तावेजी प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे वादगत् भूमि पर उसके हक व हकूकों की धोषणा का अधिकारी माना जा सके। अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन व संबंधित पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्ट

को प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ दिनांक 17—05—1984 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 17.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर